न्यायालय तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर

प्रकरण संख्या 37 / 2022

अन्तर्गत धारा 91
राज भू. राजस्व अधिनियम 1956

सरकार जरिये पटवारी हल्का सोमलपुर

श्री हरी पुत्र गुल्ला
जाति चीता नि0 सोमलपुर अजमेर

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सोमलपुर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कि की ग्राम सोमलपुर के खसरा नम्बर 5100 / 259 रकबा 18.90 गैर मु. पहाड भूमि है जिसमें से 0.80 हैक्ट. पर कांटे की बाड़ लगाकर कर कब्जा कर लिया गया है।

वर्तमान में ग्राम सोमलुपर के आराजी खसरा नम्बर 5100 / 259 रकबा 18.90 हैक्ट. मुताबिक रिकार्ड गैर मु पहाड़ भूमि दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट के अुनसार अतिक्रमी के विरूद्व अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की और से अभिभाषक उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया जाकर पटवारी रिपोर्ट, राजस्व रिकार्ड व जमाबंदी संवत 2079 के अनुसार खसरा नम्बर 5100 / 259 रकबा 18.90 किस्म बीड़ गैर मु. पहाड़ भूमि दर्ज है। जिस पर अतिक्रमी श्री हरी पुत्र गुल्ला जाति चीता नि0 सोमलपुर द्वारा 0.80 हैक्ट पर अनाधिकृत कब्जा किया जाना सिद्व होता है।

अतः उक्त अतिक्रमित भूमि ग्राम सोमलपुर के खसरा नम्बर 5100 / 259 से अतिक्रमी को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जाता है साथ ही भूमि की लगान 3 रू का पच्चास गुना 150 रू की शास्ती से दण्डित किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व भू.अभि. निरीक्षक / पटवारी हल्का को शास्ती राशी की वशूली व अतिक्रमी को मौके से बेदखली हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 10 / 05 / 2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार अजमेर